अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6--7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)
लोकअदालत, मुकाम चूरू
ब इजलास : श्री बिजेन्द्रसिंह आर.ए.एस.

1. रूघाराम पुत्र हरजीराम जाति जाट निवासी गिनडी पट्टा लोहसणा त.चूरू

—वादी—

बनाम

1. गुलाराम पुत्र हरजीराम जाति जाट निवासी गिनडी पट्टा लोहसणा त.चूरू
2. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चूरू तहसली व जिला चूरू (राज) जरिये शाखा प्रबधक
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय चूरू (राज.)

—प्रतिवादीगण—

दावा अन्तर्गत धारा 53, आर.टी.ए.
मुकदमा नं. 43 सन् 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री सुरेन्द राहड एडवोकेट वादी, मिनजानिब मुदइब पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:--

तहसीलदार, चूरू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील उभयपक्ष की सहमति के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 262 व 263 कुल तादादी 8.1316 हैक्टेयर रोही ग्राम चूरू तहसील चूरू की कृषि भूमि में से वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता विभाजन निम्नानुसार किया जाकर खाते व लगान अलग--अलग कायम करने का आदेश दिया जाता है:--

क्र. सं.	नाम खातेदार मय विवरण	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में	किस्म भूमि
1.	रूघाराम पुत्र हरजीराम जाति जाट निवासी गिनडी पट्टा लोहसणा, चूरू	263 मीन दक्षिणी	4.0658	बारानी
2.	गुलाराम पुत्र हरजीराम जाति जाट निवासी गिनडी पट्टा लोहसणा, चूरू	262 263 उतरी	0.0253 4.0405	बारानी बारानी
		किता 2	4.0658	

तहसीलदार, चूरू को डिक्री के अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना--अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर [illegible] दिनांक 30 माह जुलाई सन् 2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:34:10 IST
Reason: SelfAttested

(बिजेन्द्रसिं[illegible])
उपखण्ड [illegible]
चूरू